भाग 1

क

न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान

(अतिरिक्त कार्यभार)

पीठासीन अधिकारी : ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.जे.एस.

निर्णय दिनांक : 04.07.2026

सीआईएस संख्या : 440/2020

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या : 440/2020

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 138/2020

पुलिस थाना : मौलासर, जिला डीडवाना-कुचामन।

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	
01	भंवराराम पुत्र मूलाराम, उम्र 55 साल (निर्णय दिनांक 19.07.2024)
02	भवानी सिह पुत्र फतेह सिंह, उम्र 32 साल, (निर्णय दिनांक 01.04.2026)
03	लक्ष्मण सिंह पुत्र बन्ने सिंह, उम्र 60 साल, (निर्णय दिनांक 19.07.2024)
04	**हरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरराम, उम्र 29 साल,**
04	योगेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, उम्र 40 साल (निर्णय दिनांक

	19.07.2024)
	सभी निवासीगण, ग्राम चौलुखां, पुलिस थाना मौलासर, जिला डीडवाना-कुचामन।
विद्वान अधिवक्ता परिवादी	श्री सुरेंद्र पुरी
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अभिषेक चतुर्वेदी।
विद्वान अधिवक्ता परिवादी/आहत राजेश चौधरी	श्री सुरेन्द्र पुरी

ख

घटना की दिनांक	29.07.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.08.2020
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	09.09.2020
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	09.09.2020
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	09.09.2020
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	04.07.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	04.07.2026
सजा आदेश यदि हो तो	परिवीक्षा का लाभ दिया गया

ग

अभियुक्त की सूचना

क. स.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	न्यायालय से जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में समायोजन समयावधि
01	हरेन्द्र सिंह	जमानतीय अपराध	09.09.2020	भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 147, 323, 341, 504, 149 के आरोप से दोषमुक्त व धारा 336 के आरोप में दोषसिद्ध	दोषसिद्ध	परिवीक्षा का लाभ दिया गया	- निल-

भाग 2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

क्रम	नाम	साक्ष्य प्रकृति

पीडब्ल्यू-01	सोनाराम	मुख्य गवाह
पीडब्ल्यू-02	मुकेश	मुख्य गवाह
पीडब्ल्यू-03	डॉ. सुन्दरलाल विश्नोई	चिकित्सकीय गवाह
पीडब्ल्यू-04	सरोज	मुख्य गवाह
पीडब्ल्यू-05	भंवराराम	नक्शा-मौका गवाह
पीडब्ल्यू-06	राजेश चौधरी	परिवादी
पीडब्ल्यू-07	श्यामलाल	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू-08	अणताराम	परिवादी
पीडब्ल्यू-09	जुगलकिशोर	नक्शा-मौका गवाह

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची

खः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम	**प्रदर्श**	**विवरण**
1	**प्रदर्श पी-01**	चोट प्रतिवेदन आहत राजेश चौधरी
2	**प्रदर्श पी-02**	चोट प्रतिवेदन आहत अणताराम
3	**प्रदर्श पी-03**	प्रथम नक्शा-मौका
4	**प्रदर्श पी-04**	द्वितीय नक्शा-मौका
5	**प्रदर्श पी-05**	तहरीर रिपोर्ट
6	**प्रदर्श पी-06**	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट

–:: निर्णय ::-

दिनांक – 04 जुलाई, 2026

01. प्रकरण में पूर्व में निर्णय दिनांक 19.07.2024 द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण भंवराराम व

लक्ष्मण सिंह को आरोपित अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (आगो **संहिता** से उल्लेखित) की धारा 147, 149, 336 व 504 के लिए संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जा चुका है तथा धारा 323 व 341 के आरोप के लिए दोषसिद्ध किया जाकर परीविक्षा का लाथ दिया गया है। जिस दिनांक को अभियुक्त भवानी सिंह व हरेन्द्र मफरूर थे। दिनांक 01.04.2026 को अभियुक्त भवानी सिंह द्वारा उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपित अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 147, 149, 323, 341, 336 व 504 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया जा चुका है। अभियुक्त हरेन्द्र ने प्रकरण में दिनांक 29.04.2026 को उपस्थित होकर जमानत करवाई है। आज दिनांक को अभियुक्त हरेन्द्र की हद तक यह निर्णय किया जा रहा है।

02. यह प्रकरण थानाधिकारी पुलिस थाना, मौलासर द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण भंवराराम, भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरेन्द्र व योगेन्द्र के विरुद्ध संहिता की धारा 147, 149, 341, 323, 504, 336 के तहत माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय डीडवाना के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पंजीबद्ध हुआ एवं कालांतर में उक्त प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, मेड़ता के आदेश क्रमांक 101 दिनांक 07.06.2022 द्वारा विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. प्रकरण के सुसंगत तथ्य सार रूप से इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.08.2020 को प्रार्थी राजेश चौधरी व अणतराम, निवासीगण चैलुखां, पुलिस थाना मौलासर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 29.07.2020 को आवारा गांये अणताराम के खेत में घुसने कि बात को लेकर भंवराराम व भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह ने थापा-मुकों व लाठियों से मारपीट की।

अणताराम ने दिलीप सिंह का खेत बटाई पर ले रखा है। उक्त खेत को उसने भी बटाई पर ले रखा है। इस बात का औलमा सुबह दिया और सोनाराम जाट को बताया तब पन्नाराम को बुलाया। सोनाराम के घर बैठे-बैठे बात कर रहे थे, इतने में एक राय होकर भंवराराम, भंवरी देवी व **हरेन्द्र** तीनों ने अपने हाथों में लाठियों व पत्थर लेकर आये। लाठी भंवराराम ने वार किया तब उसने लाठी को पकड़ ली, **फिर हरेन्द्र ने पत्थर फेंके।** पत्थर की चोट बांये पैर की अंगुली पर चोट लगी, फिर सोनाराम व पन्नाराम ने छुड़वाया। उस वक्त सोनाराम के परिवार की औरते भी थी, जिन्होंने छुड़वाया। घटना सोनाराम के गुवाड़ी की है व मां बहिन की बुरी-बुरी गालियां निकाली। भंवराराम के साथ में पांच-सात व्यक्ति जिनमें लालसिंह, योगेन्द्र सिंह, रतनाराम, दशरथ सिंह, समस्त निवासी चैलुखां ने भी लाठियों व थापा मुक्कों से मारपीट की। जिससे भी शरीर पर चोटे आई। अब भी मां बहिन की बुरी-बुरी गालिया निकाल रहे है।........ इत्यादि।

04. उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 138/2020 पुलिस थाना मौलासर पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भंवराराम, भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरेन्द्र व योगेन्द्र के विरुद्ध संहिता की धारा धारा 147, 149, 341, 323, 504, 336 के लिये आरोप पत्र प्रस्तुत न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

05. दिनांक 09.09.2020 को अभियुक्त हरेन्द्र को संहिता की धारा 147, 149, 341, 323, 504, 336 (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) के अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर अपराध से इंकार किया व अंवीक्षा चाही।

06. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त हरेन्द्र के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने के लिये इस निर्णय के भाग 02 के अनुसार मौखिक व

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। गवाह श्री पांचूराम को को अभियोजन अधिकारी ने तर्क कर अभियोजन ने अपनी साक्ष्य दिनांक 19.07.2023 को समाप्त की।

07. अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (आगे **प्रक्रिया संहिता** से उल्लेखित) के तहत परिक्षण दिनांक 07.05.2026 को किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने से इंकार किया।

08. बहस अन्तिम उभय पक्षों की सुनी गई।

09. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया तथा यह तर्क दिया हैं कि तहरीर रिपोर्ट में परिवादीगण ने दो घटनाओं का उल्लेख किया है। प्रथम घटना दिनांक 29.07.2020 को रात्रि की बताई है, जिसमें अणताराम के साथ मारपीट करने वालो में भंवराराम, भवानी सिंह व लक्ष्मण सिंह को नामित किया है, अभियुक्त को नामित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति तहरीर रिपोर्ट में नहीं बताई है। द्वितीय घटना दिनांक 30.07.2020 को सुबह सोनाराम के घर की बताई है, जिसमें अभियुक्त द्वारा फेंके गए पत्थर से परिवादी राजेश चौधरी के चोट आने का तथ्य अंकित किया गया है, जिसके साथ अभियुक्त का राजीनामा हो चुका है। अणताराम को अभियुक्त द्वारा चोट कारित की गई है ऐसा तथ्य तहरीर रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में अपराध कारित करने वाले व्यक्ति पांच या अधिक हो यह साबित नहीं हुआ है क्योंकि आरोप पत्र में नामित भंवराराम, लक्ष्मण सिंह व योगेन्द्र सिंह को निर्णय

दिनांक 19.07.2024 द्वारा संहिता की धारा 147 व 149 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा आहत अणताराम को लोकशांति भंग करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से गाली-गलोच की हो ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। परीक्षित सभी गवाह एक ही परिवार के सदस्य या रिश्तेदार है, हितबद्ध है। प्रथम घटना के संबंध में दिलीप सिंह का खेत जो परिवादीगण ने बंटाई पर ले रखा था के अड़ोस-पड़ोस के व्यक्तियों से अनुसंधान नहीं किया है। आहत राजेश चौधरी से अभियुक्त का राजीनामा हो चुका है। इस प्रकार अभियोजन संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता आहत राजेश चौधरी ने प्रकरण में आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने से न्यायसंगत आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

11. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :-

1. “क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.07.2020 को समय रात्रि के 10.00-11.00 बजे के मध्य किसी समय वाकै मौजा ग्राम चौलुखां में दिलीप सिंह के खेत के पास व दिनांक 30.07.2020 को समय सुबह 08.00-8.30 बजे के बीच वाके मौजा ग्राम चौलूखां में सोनाराम के घर पर आहत अणताराम को शारीरिक पीड़ा कारित करने के आशय या ज्ञान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, उसे उस दिशा में जिसमें उसे जाने का उसको अधिकार था, स्वेच्छा बाधा डाल जाना निवारित कर उसका सदोष अवरोध किया, उसे लोकशांति भंग करने के लिए प्रकोपित करने के आशय या ज्ञान से गाली-गलौच कर साशय अपमानित किया, आहत राजेश चौधरी के साथ

पत्थर से मारपीट कर उतावलेपन या उपेक्षा द्वारा कार्य कर मानव जीवन का संकटापन्न कारित किया तथा अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध दीगर चार अभियुक्तगण के साथ अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित करते हुए किये गये **"?**

2. यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकरण आहत राजेश चौधरी द्वारा अणताराम के साथ जाकर पुलिस थाना मौलासर पर प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर संस्थित हुआ है, जिसमें दो घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम घटना दिनांक 29.07.2020 को आवार गांये अणताराम के खेत में घुसने की बात को लेकर भंवराराम, भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह द्वारा अणताराम साथ थापा-मुक्को व लाठियों से मारपीट करने, अगले दिन सोनाराम के घर पर बैठकर बात करते समय भंवराराम, भंवरी देवी, हरेन्द्र द्वारा एक राय होकर अपने हाथों में लाठियां व पत्थर लेकर आने, भंवराराम द्वारा लाठी से वार करने, हरेन्द्र द्वारा पत्थर फेंकने, पत्थर की परिवादी राजेश चौधरी के बांये पैर पर चोट लगने, भंवराराम के साथ पांच-सात अन्य व्यक्ति लालसिंह, योगेन्द्र सिंह, रतनाराम, दशरथ सिंह आदि द्वारा भी लाठियो व थापा-मुक्को से मारपीट करने व मां-बहन की गालियां निकालने के तथ्य अंकित किए है।

13क. इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो आहत राजेश चौधरी गवाह पीडब्ल्यू 06 ने अपनी मुख्य परीक्षा में दोनो घटनाओं के संबंध में साक्ष्य दी है। प्रथम घटना के समय पड़ौस की सींव पर अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त के बैठे होने, अणताराम को गालियां

निकालने, भंवरराम, भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह व रतनाराम द्वारा मारपीट करने का कथन किया है। दूसरी घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा अचानक आकर गवाह के उपर पत्थर फेंकने, जिससे बांये पैर की अंगूली पर चोट लगने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि 29.07.2029 को उस-के साथ कोई घटना नहीं हुई थी।

ख. अन्य आहत अणताराम गवाह पीडब्ल्यू 08 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में पूर्व गवाह के समान ही कथन किये हैं तथा प्रथम घटना के समय भंवरराम, लक्ष्मण सिंह व भवानी सिंह द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करने व बाद में मारपीट करने, उसके बाद अभियुक्त व अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर उसके साथ गाली-गलौच करने व मारने की धमकी देने की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार द्वितीय घटना के समय अभियु-क्त द्वारा राजेश के साथ मारपीट करने, स्वयं द्वारा बीच-बचाव करवाने, मारपीट में उसकी कान, कंधे व अंगूठे पर चोट लगने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि रिपोर्ट तीन दिन बाद दर्ज कराई थी। भंवरराम ने उसके लाठी की दी, भवानी सिंह जेली घूमा रहा था, जेली की उसके नहीं लगी थी, लक्ष्मण सिंह ने पत्थर की या किसी चीज की दी हो तो उसे पता नहीं, पर उसके पैर पर लग गई थी।

ग. परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 04 सरोज आहत राजेश चौधरी की पत्नी है। जिसने भी दोनो ही घटनाओं के समय स्वयं को उपस्थित बताया है। प्रथम घटना के समय भं-वरराम, दशरथ सिंह, लक्ष्मण सिंह द्वारा अणताराम के साथ मारपीट करने, जिस-के पश्चात अभियुक्त के भी वहां मौजूद होने, जिसके द्वारा उसके पति राजेश चौध-री के साथ मारपीट करने, बीच-बचाव करवाने के लिये जाने पर गवाह व उसके पति को मां-बहन की गालियां निकालने की साक्ष्य दी है। द्वितीय घटना में अभियु-

क्त द्वारा उसके पति पर हमला कर देने, पत्थर फेंककर उसके पति की बांये पैर की अंगूली पर चोट कारित करने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रथम घटना के समय उसके पति के साथ मारपीट नहीं हुई थी, अणताराम के साथ मारपीट हुई थी।

घ. परीक्षित गवाह सोनाराम पीडब्ल्यू 01, मुकेश पीडब्ल्यू 02 दोनो ही गवाह मात्र द्वितीय घटना के साक्षी है, प्रथम घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देते है। गवाह सोनाराम ने द्वितीय घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा दीवार कुदकर आने व राजेश के सर के उपर पत्थर मारने की कोशिश करने पर उसको पकड़ लेने, पत्थर नीचे गिरने से राजेश के पैर के चोट लगने, बीच-बचाव में स्वयं की अंगुली पर चोट लगने की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह मुकेश ने अभियुक्त के हाथ में पत्थर होने, जिसे राजेश के उपर फेंकने, जिससे उसके पैर में चोट लगने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह सोनाराम ने कथन किया है कि प्रथम घटना के संबंध में कहासुनी हुई हो तो उसे पता नहीं है।

गवाह मुकेश ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रथम घटना हुई, वह देखी नहीं, सुनी थी।

ड़. गवाह पीडब्ल्यू 03 डॉ. सुन्दरलाल विश्नोई ने आहत अणताराम का चिकित्सकीय परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 02 तैयार करने की साक्ष्य दी है। जिसके अनुसार उसके शरीर पर तीन चोटे जिसमें दायं काने के निचले हिस्से में, बांये पैर के अंगूठे पर व दाहिनी भुजा में दर्द बताया है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि चोटे गिरने-पड़ने से आना संभव है।

च. परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 05 भंवराराम व पीडब्ल्यू 09 जुगल किशोर प्रथम व द्वितीय घटना से संबंधित नक्शा-मौका प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 के गवाह है जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है।

छ. परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 07 श्यामलाल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, मुख्य परीक्षा में अनुसंधान संबंधी कथन किए है।

प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि मोके के पड़ोसियों को मौतबीर नहीं बनाया था, आस-पास में खेत थे।

14. इस प्रकार पत्रावली का अवलोकन किया जावें तो अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 147 के अपराध, आहतगण राजेश चौधरी व अणताराम के संबंध में धारा 323, 341, 504, 336 सपठित धारा 149 के आरोप है। अनुसंधान के पश्चात प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त के अतिरिक्त उक्त अपराधों का प्रसं-ज्ञान भंवरराम, भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह व योगेन्द्र सिंह के विरूद्ध लिया गया था। जिसमें से अभियुक्त भंवरराम, भवानी सिंह व लक्ष्मण सिंह को दिनांक 19.07.2024 को संहिता की धारा 147, 149 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसे में अपराध कारित करने वाले व्यक्ति सं-ख्या में कुल 05 या अधिक हो यह तथ्य साबित नहीं होने से अभियुक्त हरेन्द्र को भी संहिता की धारा 147 व 149 के आरोप से उल्लेखित उक्त पूर्व अभियुक्तगण के सामान ही संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

अभियुक्त के विरूद्ध शेष रहे अपराध संहिता की धारा 323, 341, 504 जो आहत राजेश चौधरी के संबंध में कारित किए गए है से आहत का अभियुक्त से दिनांक 29.06.2026 को राजीनामा हो जाने से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

अभियुक्त के विरूद्ध आहत अणताराम के विरूद्ध कारित अपराध संहिता की धारा 323, 341, 504 व दोनो आहतगण के संबंध में धारा 336 का आरोप शेंष रहता है। जिस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो तहरीर रिपोर्ट दो घटनाओं के संबंध में द्र्ज करवाई गई है। प्रथम घटना के समय अभियु-

क्त उपस्थित रहा हो या उसने कोई अपराध कारित किया हो, यह तहरीर रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है। प्रथम घटना के साक्षी अणताराम, राजेश चौधरी व सरोज ने भी प्रथम घटना में अणताराम के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट की गई हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है। गाली-गलौच के संबंध में गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास है। गवाह राजेश चौधरी द्वारा प्रथम घटना के समय अभियुक्त व अन्य व्यक्तियों द्वारा अणताराम को गाली निकालने का कथन किया है। गवाह अणताराम ने भी अभि-युक्त व अन्य व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौच करने व धमकी देने का कथन किया है। इसके विपरीत गवाह सरोज ने उसके पति के साथ मारपीट करने व बीच बचाव में जाने पर उसके पति व उसको मां-बहन की गालियां निकालने का कथन किया है। उपरोक्त तीनो गवाहों के अतिरिक्त अन्य कोई गवाह प्रथम घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है।

अभियुक्त के विरूद्ध द्वितीय घटना के संबंध में उपरोक्त अपराधों के आरोप के लिए पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो तहरीर रिपोर्ट में अभियुक्त को मारपीट करने वाले व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है। यह भी तथ्य अंकित किया है कि अभियुक्त ने पत्थर फेंका, जिससे राजेश के बांए पैर की अंगूली पर चोट लगी थी। ऐसे में द्वितीय घटना में अभियुक्त द्वारा अणताराम के साथ मारपीट की गई हो यह तथ्य तहरीर रिपोर्ट में अंकित नहीं है। गवाह सोनाराम ने भी अभियुक्त द्वारा राजेश के सिर पर पत्थर मारने की कोशिश करने, पत्थर पकड़ लेने पर गिरने से राजेश के चोट लगने का कथन किया है। गवाह मुकेश ने भी अभियुक्त के हाथ में पत्थर होने, जो राजेश के उपर फेंकने, जिससे उसके पैर पर चोट लगने का कथन किया है। गवाह सरोज ने भी अभियुक्त द्वारा पत्थर फेंकने, जिससे उसके पति के पैर पर चोट आने का कथन किया है। उक्त गवाहों में से किसी भी गवाह ने अणताराम के साथ मारपीट करने का कथन नहीं किया है। स्वयं अणताराम ने भी अपनी साक्ष्य में राजेश के साथ अभियुक्त द्वारा

मारपीट करने का कथन किया है। गवाहों की साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियुक्त के हाथ में पत्थर था, अणताराम ने अपनी साक्ष्य में पत्थर से कोई चोट आने का कथन नहीं किया है। मात्र इस गवाह ने अभियुक्त द्वारा अपने साथ गाली-गलौच करने का कथन किया है जबकि गवाह सोनाराम व मुकेश ने भंवराराम द्वारा गाली-गलौच करने का कथन किया है। उपरोक्त समस्त कारणों से आहत अणताराम की हद तक भी संहिता की धारा 323, 341, 504 के अपराध अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किन्तु तहरीर रिपोर्ट में अभियुक्त को नामित किया गया है, सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों व आहत राजेश चौधरी ने अभियुक्त के हाथ में पत्थर होने, उससे आहत राजेश के साथ मारपीट करने की साक्ष्य दी है। जिस संबंध में गवाहों की प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा से कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार अभियोजन आरोपित अपराध संहिता की धारा 336 अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

आदेश

15. अतः अभियुक्त **हरेन्द्र पुत्र भंवराराम, उम्र 29 साल, निवासी, ग्राम चौलुखां, पुलिस थाना मौलासर, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान** को आरोपित अपराध संहिता की धारा **147, 149, 323, 341, 504** के आरोप से दोषमुक्त व संहिता की धारा **336** के आरोप के लिये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना,
जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।
अतिरिक्त कार्यभार

-:सजा के बिन्दु परः-

16. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि का तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त की आयु 29 वर्ष हैं तथा गत 06 वर्ष से प्रकरण में अंवीक्षा भुगत रहा है। आारोपित अपराध समन मामला है। आहत राजेश चौधरी के साथ राजीनामा हो चुका है। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 03/पीआई/2017 दिनांकित 06.02.2017 की पालना में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, ना ही उसने किसी प्रकरण में पूर्व में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है।

17. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्त को विधिनुसार दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा के बिन्दू पर परिवादी राजेश चौधरी से राजीनामा हो जाने से न्यायसंगत आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

18. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

19. पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र की पालना में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं कि उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धि नही हैं। अभियोजन अधिकारी की ओर से इस स्तर पर अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अभियुक्त गत 06 वर्षो से प्रकरण में अंवीक्षा भुगत रहा है। आयु 29 वर्ष हैं। आरोपित अपराध समन मामला है। आहत राजेश चोधरी से राजीनामा हो चुका है। अतः उपरोक्त कारणों तथा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को सीधे ही कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम 1958 (आगे **परिवीक्षा अधिनिमय** से उल्लेखित) की धारा 04 का लाभ दिया जाना तथा धारा 05 के अन्तर्गत अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-:दण्ड़ादेशः-

20. एतद्द्वारा अभियुक्त **हरेन्द्र पुत्र भंवराराम, उम्र 29 साल, निवासी, ग्राम चौलुखां, पुलिस थाना मौलासर, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान** को आरोपित अपराध **संहित की धारा 336** के अन्तर्गत दोषसिद्धि पर सीधे ही कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि का दस हजार का बंधपत्र इस आशय का पेश कर तस्दीक करा देवे कि वह उक्त अवधि के भीतर सदाचारी बना रहेगा, परिशांति कायम रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपसंजात होकर दण्ड भोगेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड दिया जावें साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानानुसार राशि **500/-रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये** मात्र अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त पर उक्त दोषसिद्धि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार दोषसिद्धि से संलग्न निर्याग्यता नहीं समझी जावेगी।

उक्त आदेश की पालना करने में अभियुक्त के असफल रहने पर अभियुक्त को निम्नानुसार द्ण्डित किया जावे।

अपराध संहिता की धारा 336 के अंतर्गत दोषसिद्धि पर 250/-रूपये (अक्षरे दो सौ पचास रूपये मात्र) जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना दस दिवस का साधारण कारावास भुगतेगा।

21. अभियुक्त को निर्णय की प्रति अविलंब निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

22. अभियुक्त की ओर से प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके इस निर्णय की दिनांक से छः माह के लिये प्रवृत रहेंगे। उक्त अवधि में अपील प्रस्तुत होने पर उनके उन्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा व अपील प्रस्तुत नही होने पर उक्त अवधि के अवसान पर स्वतः ही उन्मोचित समझे जावेंगे।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना,

जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।
अतिरिक्त कार्यभार

23. निर्णय आज दिनांक **04 जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना,
जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।
अतिरिक्त कार्यभार